न्यायालय, अवर न्यायाधीश बनमनखी (पूर्णियाँ)

T.S-351/1999

29.07.2022 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई है। अभिलेख आज वादी के दिनांक–15.03.2021 के आवेदन पर प्रतिवादी के द्वारा दिनांक–12.04.2021 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। वादी के आवेदन दिनांक–15.03.2021 एवं 17.02.2022 के आवेदन पर सुनवाई के पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

वादी के दिनांक–15.03.2021 के आवेदन पर सुना। वादी का कथन है कि इस वाद के प्रतिवादी सं0–1 विनोद कुमार चौधरी के मृत्यु दिनांक–28.12.2020 को हो गई है। मृत्यु की जानकारी होने पर वादी की ओर से आवेदन दाखिल किया गया। प्रतिवादी सं0–1 विनोद कुमार चौधरी अपने पीछे अपनी पत्नी, दो पुत्री एवं एक पुत्र छोड़कर मरे है। विनोद कुमार चौधरी की पत्नी रंजना देवी, पुत्री क्रमशः अनामिका जायसवाल तथा शिखा कुमारी एवं पुत्र अभिषेक कुमार को इस वाद मे प्रतिस्थापित करना आवश्यक है।

वादी के द्वारा एक अन्य आवेदन दिनांक–17.02.2022 को आदेश–22 नियम–3 के आवेदन के साथ अन्तर्गत धारा–5 Indian limitation Act. के साथ दाखिल किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद की प्रतिवादी सं0–12 श्यामप्यारी देवी पत्नी सीताराम चौधरी की मृत्यु दिनांक–09.06.2021 को हो गई थी। प्रतिवादी सं0–12 श्यामप्यारी देवी अपने पीछे एक मात्र वारिस अपने पति सीताराम चौधरी को छोड़कर मरी है। श्यामप्यारी देवी की कोई संतान नही है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि Covid-19 के प्रभाव के कारण विहित समय सीमा के भीतर प्रतिस्थापन का आवेदन दाखिल नही कर सका।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि विलंब को माफ करते हुए आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा करे।

वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–15.03.2021 एवं दिनांक–17.02.2022 के आवेदन पर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कोई आपत्ति नही की गई। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता उक्त दोनो आवेदन पर No objection लिख दिये है।

उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी के दिनांक–15.03.2021 एवं दिनांक–17.02.2022 के आवेदन पर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नही की गई है, एवं No objection लिखा गया है। अतः उक्त वादी के आवेदन दिनांक–15.03. 2021 एवं दिनांक–17.02.2022 के न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वादी को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार वाद–पत्र में प्रतिस्थापन की कार्यवाही पूर्ण करे।

वादी के द्वारा एक आवेदन दिनांक–15.03.2021 को दाखिल किया। जिस पर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक–26.07.2022 को Not Press लिखा गया। ऐसी स्थिति मे वादी के आवेदन को बिना गुण दोष के निष्पादित किया जाता है।

वाद दिनांक–03.08.2022 वास्ते उपस्थिति हेतु।

लेखापित

s/d

अवर न्यायाधीश